संख्या-38/2019/1456/46-1-19-1922/2017

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
4. निदेशक, गन्ना शोध परिषद., उ.प्र. शाहजहाँपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ., लखनऊ।
6. निदेशक, उ.प्र. लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2019

विषयः-उच्च सुविधायुक्त निजी चिकित्सालयों में करायी गयी चिकित्सा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय/संस्थान परिषद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिना विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के जिन रोगों की सुविधा सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध है, उन रोगों का इलाज अन्य निजी चिकित्सालयों के अतिरिक्त उच्च सुविधायुक्त लखनऊ एवं दिल्ली के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों में भी उपचार कराया जाता हैः-

क्रम संख्या	चिकित्सालय का नाम	शहर का नाम
1	2	3
1	बत्रा हॉस्पिटल	दिल्ली
2	अपोलो हॉस्पिटल	दिल्ली
3	प्राइम्स हॉस्पिटल	दिल्ली
4	एक्कार्ट हॉस्पिटल	दिल्ली
5	मैक्स हॉस्पिटल	दिल्ली
6	मेदान्ता हॉस्पिटल-दा मिड सिटी	गुड़गाँव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

7	फोर्टिस हॉस्पिटल	दिल्ली
8	सहारा हॉस्पिटल	लखनऊ
9	नोवा हॉस्पिटल	लखनऊ
10	डिवाइन हॉस्पिटल	लखनऊ
11	शेखर हॉस्पिटल	लखनऊ
12	अपोलो हॉस्पिटल	लखनऊ

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तात्कालिक/ आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर बिना पूर्व अनुमति के उक्त इंगित उच्च सुविधायुक्त चिकित्सालयों के साथ-साथ राज्य/देश के अन्य निजी चिकित्सालयों में करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति न की जाए। यदि कोई भी कार्मिक उच्च सुविधायुक्त निजी चिकित्सालय में (जिस रोग का इलाज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है) इलाज कराना चाहता है, तो उसे प्राधिकृत शासकीय चिकित्सक की संस्तुति के पश्चात् विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी होगी। पूर्व अनुमति के पश्चात् ही चिकित्सा परिचर्या नियमावली, यथासंशोधित, 2016 के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देय होगी।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक</u>

उर्पयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अनुभाग अधिकारी, चीनी उद्योग अनुभाग-1/2/3
2. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है